

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

विज्ञप्ति क्रमांक-11003/30/2016/अनु-10

इन्दौर, दिनांक -13/10/2016

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016 परीक्षा दिनांक 20.08.16 (शनिवार) एवं 21.08.2016 (रविवार) को आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा का लिखित परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्रमांक-11002/30/2016/अनु-10 दिनांक 13.10.2016 को घोषित किया गया था। राज्य अभियांत्रिकी सेवा प्रारंभिक परीक्षा-2016 विभिन्न पदों (01) सहायक यंत्री सिविल (02) सहायक यंत्री विद्युत (03) सहायक यंत्री यांत्रिकी के लिए अर्ह पाए गए अंतिम अर्ह आवेदकों के प्राप्तांक (CUT OF MARKS) निम्नानुसार है :-

प्रश्न विलोपित करने के उपरांत सामान्य अध्ययन एवं द्वितीय वैकल्पिक विषय के कुल अंक (GENERAL STUDIES+OPTIONAL PAPER=TOTAL)	Assistant Engineer CIVIL	Assistant Engineer ELECTRICAL	Assistant Engineer MECHANICAL
	196+288=484	198+294=492	198+294=492

CATEGORY WISE MINIMUM CUT OFF MARKS

CATEGORY	SEX	MINIMUM CUT OFF MARKS		
		Assistant Engineer CIVIL	Assistant Engineer ELECTRICAL	Assistant Engineer MECHANICAL
अनारक्षित (UR)	शेष (M+F)	277	308	341
	महिला (FEM)	194	293	258
अनुसूचित जाति (SC)	शेष (M+F)	206	260	290
	महिला (FEM)	145	NA	188
अनुसूचित जनजाति (ST)	शेष (M+F)	147	225	207
	महिला (FEM)	148	NA	151
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	शेष (M+F)	247	294	333
	महिला (FEM)	150	NA	178

PH Assistant Engineer CIVIL

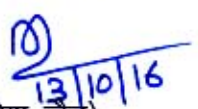
श्रेणी (CATEGORY)	अस्थिबाधित OH	दृष्टिबाधित VH	श्रवणबाधित HH
अनारक्षित (UR)	165	199	241
अनुसूचित जाति (SC)	183	NA	164
अनुसूचित जनजाति (ST)	159	NA	NA
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	159	179	197

PH Assistant Engineer MECHANICAL

श्रेणी (CATEGORY)	अस्थिबाधित OH	दृष्टिबाधित VH	श्रवणबाधित HH
अनारक्षित (UR)	176	NA	NA
अनुसूचित जाति (SC)	163	NA	NA
अनुसूचित जनजाति (ST)	NA	NA	NA
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC)	182	NA	NA

महत्वपूर्ण :-

- 01 महिला आरक्षण तथा अन्य आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं/आवेदकों को ही दिया गया है। मध्यप्रदेश के बाहर की महिलाओं/आवेदकों को अनारक्षित ओपन कैटेगिरी में मान्य किया गया है।
- 02 निःशक्तजन (PH) अभ्यर्थियों हेतु आरक्षण का लाभ केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी निःशक्तजनों (PH) को ही दिया गया है। निःशक्तजनों (PH) हेतु किसी प्रकार का श्रेणीवार आरक्षण न होने से यथाप्रकार अस्थिबाधित, दृष्टिबाधित एवं श्रवणबाधित मेरिट गुणानुक्रम में लिए जाकर उनकी स्वयं की श्रेणी में शिफ्ट किए गए हैं।
- 03 उपरोक्त जानकारी सूचना के अधिकार के अन्तर्गत आवेदकों हेतु प्रसारित की जा रही है।


 (दिनेश जैन)
 परीक्षा नियंत्रक